



मध्यप्रदेश राजापत्र

(असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 608]

भोपाल, मंगलवार, दिनांक 14 नवम्बर 2017—कार्तिक 23, शक 1939

वाणिज्यिक कर विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

क्र. एफ-ए-3-36-2017-1-पांच(146)

भोपाल, दिनांक 14 नवम्बर 2017

राज्य सरकार मध्यप्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017(क्रमांक 19 सन् 2017) की धारा 54 की उपधारा (3) के परंतुक के उपवाक्य (ii) के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य सरकार इस परिषद की सिफारिशों के आधार पर, एतद्वारा इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-ए-3-36/2017/1/पांच (दिनांक 25.07.2017, में आगे भी निम्नलिखित संशोधन करती है अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना में, सारणी में, क्रम संख्या 6A और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात्:-

“6 क	5608	डोरी, रज्जु या रस्सा के ग्रंथित जाल, जो टैक्सटाइल सामग्री के विनिर्मित मत्स्यन जाल और अन्य विनिर्मित जाल हैं
6 ख	5801	कॉरडरॉय फेब्रिक
6 ग	5806	संकीर्ण व्यूतित फेब्रिक, शीर्ष सं 5807 के माल से भिन्न ; संकीर्ण फेब्रिक, जिसमें आसंजक के माध्यम से समंजित बाना के बिना ताना है (कसबोल्ड)“।

2. यह अधिसूचना 15, नवंबर 2017 से प्रवृत्त होगी।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अरुण परमार, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 14 नवम्बर 2017

क्र. एफ-ए-3-36-2017-1-पांच.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस आशय की अधिसूचना क्रमांक क्र. एफ-ए-3-36-2017-1-पांच(146), दिनांक 14 नवम्बर, 2017 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रसारित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अरुण परमार, उपसचिव.

F A 3-36-2017-1-V(146)

Bhopal, the 14th November, 2017

In exercise of the powers conferred by clause (ii) of the proviso to sub-section (3) of section 54 of the Madhya Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017 (19 of 2017), the State Government, on the recommendations of the Council, hereby makes the following further amendments in this department's notification No. FA3-36/2017/1/FIVE(66) dated the 30th June, 2017, namely:-

In the said notification, in the TABLE, for Sl. No. 6A and the entries relating thereto, the following entries shall be substituted, namely:-

“6A	5608	Knotted netting of twine, cordage or rope; made up fishing nets and other made up nets, of textile materials
6B	5801	Corduroy fabrics
6C	5806	Narrow woven fabrics, other than goods of heading 5807; narrow fabrics consisting of warp without weft assembled by means of an adhesive (bolducs)”.

2. This notification shall come into force with effect from the 15th day of November, 2017.

By order and in the name of Governor of Madhya Pradesh,
ARUN PARMAR, Dy. Secy.